ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 79

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		11432.40	18.56	11450.96	13861.40	19.00	13880.40	18329.21	19.87	18349.08
पूंजी		*5.00*	...	*5.00*	*5.00*	...	*5.00*	*4.79*	...	*4.79*
जोड़		**11437.40**	**18.56**	**11455.96**	**13866.40**	**19.00**	**13885.40**	**18334.00**	**19.87**	**18353.87**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	9.61	9.61	...	10.23	10.23	...	10.70	10.70
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2501	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	862.24	...	862.24
जोड़ - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		**900.00**	**...**	**900.00**	**900.00**	**...**	**900.00**	**862.24**	**...**	**862.24**
ग्रामीण रोजगार										
3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना										
(क) नकद धनराशि	2505	4050.00	...	4050.00	4050.00	...	4050.00	3600.00	...	3600.00
(ख) खाद्यान्न सामग्री	2505	260.00	...	260.00	260.00	...	260.00	...	...	...
(ग) एसजीआरवाई का विशेष घटक	2505	280.00	...	280.00	280.00	...	280.00	...	...	...
जोड़		**4590.00**	**...**	**4590.00**	**4590.00**	**...**	**4590.00**	**3600.00**	**...**	**3600.00**
4. काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2505	...	...	...	1818.00	...	1818.00	5400.00	...	5400.00
जोड़-ग्रामीण रोजगार		**4590.00**	**...**	**4590.00**	**6408.00**	**...**	**6408.00**	**9000.00**	**...**	**9000.00**
आवास										
5. ग्रामीण आवास	2216	2242.00	...	2242.00	2602.00	...	2602.00	2492.81	...	2492.81
	4216	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.79	...	4.79
जोड़ - ग्रामीण आवास		**2247.00**	**...**	**2247.00**	**2607.00**	**...**	**2607.00**	**2497.60**	**...**	**2497.60**
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
6. डीआरडीए प्रशासन	2515	207.00	...	207.00	207.00	...	207.00	198.31	...	198.31
7. प्रशिक्षण	2515	23.66	7.60	31.26	23.66	7.42	31.08	22.66	7.87	30.53
	3601	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.79	...	4.79
	Total	*28.66*	*7.60*	*36.26*	*28.66*	*7.42*	*36.08*	*27.45*	*7.87*	*35.32*
8. ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	2515	102.00	1.35	103.35	110.10	1.35	111.45	105.50	1.30	106.80
जोड़ - ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम		**337.66**	**8.95**	**346.61**	**345.76**	**8.77**	**354.53**	**331.26**	**9.17**	**340.43**
सड़कें और पुल										
9. केन्द्रीय सड़क निधि-अन्तरण										
को	3054	2148.00	...	2148.00	2148.00	...	2148.00	3809.50	...	3809.50
से	3054	-2148.00	...	-2148.00	-2148.00	...	-2148.00	-3809.50	...	-3809.50
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	3054	2219.00	...	2219.00	2219.00	...	2219.00	3809.50	...	3809.50
11. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	1143.74	...	1143.74	1386.64	...	1386.64	1833.40	...	1833.40
कुल जोड़		***11437.40***	***18.56***	***11455.96***	***13866.40***	***19.00***	***13885.40***	***18334.00***	***19.87***	***18353.87***

(करोड़ रुपए)

	विकास शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
1. आवास और शहरी विकास निगम	22216	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.79	...	4.79
जोड़		**5.00**	**...**	**5.00**	**5.00**	**...**	**5.00**	**4.79**	**...**	**4.79**
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय योजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	862.24	...	862.24
2. ग्रामीण रोजगार	12505	4590.00	...	4590.00	6408.00	...	6408.00	9000.00	...	9000.00
3. आवास	22216	2247.00	...	2247.00	2607.00	...	2607.00	2497.60	...	2497.60
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	337.66	...	337.66	345.76	...	345.76	331.26	...	331.26
5. सड़कें और पुल	13054	2219.00	...	2219.00	2219.00	...	2219.00	3809.50	...	3809.50
6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	1143.74	...	1143.74	1386.64	...	1386.64	1833.40	...	1833.40
जोड़		**11437.40**	**...**	**11437.40**	**13866.40**	**...**	**13866.40**	**18334.00**	**...**	**18334.00**

1. यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए है ।

2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) जो 1.4.1999 से लागू की गई थी, को एक संपूर्ण कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है जिसके अंतर्गत स्व-सहायता समूहों में ग्रामीण निर्धनों के संगठन जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलू और उनका क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, क्रिया-कलापों वाले समूहों की योजना, आधार संरचना विकास, बैंक ऋण और सब्सिडी के द्वारा वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि शामिल है । विगत अनुभव ने यह प्रदर्शित किया है कि यदि प्रयत्न व्यक्तिगत अभिमुखी के स्थान पर समूह आधारित हो तो सफलता की दर अधिक होती है । अतः यह कार्यक्रम स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर जोर देता है । यह चुने गये महत्वपूर्ण कार्य-कलापों में छोटे उद्यमों के विकास में सामूहिक प्रयासों पर जोर देता है । बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में घनिष्ठ रूप से शामिल और सहयोजित किया जाता है और इसके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण क्रिया-कलाप हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और स्व-रोजगारियों का चुनाव किया जाता है और परियोजना के बाद की मानीटरिंग आदि की जाती है । केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में निधियों की साझेदारी की जाती है । इस योजना के लक्षित वर्ग में गरीबी की रेखा से नीचे के गरीब ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है । लक्षित वर्ग के अंतर्गत मार्गनिर्देशों में योजना हेतु यह प्रावधान किया गया है कि इसमें लक्ष्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 50% महिलाओं का 40% और अपंग लोगों का 3% होगा ।

3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) 25 सितम्बर, 2001 को रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) की चल रही योजनाओं को मिलाकर शुरू की गई । इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा भी, साथ ही सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन और इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है । कार्यक्रम स्वलक्षित स्वरूप का है । इसके नकद घटक में केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में हिस्सेदारी की जाती है । राज्यों को खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है । केन्द्र द्वारा किफायती लागत पर खाद्यान्नों का भुगतान सीधे एफ सी आई को किया जाता है । श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न और कम से कम 25 प्रतिशत नकद को मिलाकर दी जाती है ।

वर्ष 2003-04 तक कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया गया । अब वर्ष 2004-05 से कार्यक्रम समेकित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है । योजना केवल पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जाती है । पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों अर्थात जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के बीच कार्यक्रम संसाधनों का वहन क्रमशः 20:30:50 के अनुपात में किया जाता है । पंचायत का प्रत्येक स्तर कार्य योजना तैयार करने और योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक स्वतंत्र इकाई है । योजना के अंतर्गत समुदाय के कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अंश में से 50 प्रतिशत संसाधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति वाली बसावटों में आवश्यकता आधारित आधारभूत सुविधा विकसित करने और जिला परिषद तथा पंचायत समिति के अंश में से 22.5 प्रतिशत संसाधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई व्यक्तिगत/समूह लाभार्थियों के लिए उपयोग किया जाएगा ।

4. खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के लिए देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में नवम्बर, 2004 से काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम नाम एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है । गोवा को छोड़कर सभी राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है । यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । इसीलिए, इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को नकद और खाद्यान्न पूरी तरह केन्द्र द्वारा मुहैया कराया जाता है । कार्यक्रम में, जल संरक्षण, सूखारोधन (वनीकरण/पौध-रोपण सहित), भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा (जलभराव वाले क्षेत्रों में निकास सहित) और अच्छी बारहमासी सड़कों के रूप में ग्रामीण संपर्क से संबंधित कार्यों पर बल दिया गया है । यह कार्यक्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रति वचनबद्धता की दिशा में एक कदम है।

5. इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का उद्देश्य प्रमुख रूप से अनुसूचित जातियों/अनु.जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले गैर अनु.जाति/अनु.जनजाति के ग्रामीण परिवारों को आवास इकाइयां बनाने और उनके मौजूदा मरम्मत के अयोग्य कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए सहायता मुहैया कराना है । वर्ष 1995-96 से आई.ए.वाई. का लाभ युद्ध में मारे गये रक्षा तथा पैरामिलिट्री कर्मचारियों के परिवारों को भी दिया गया है भले ही उनकी आय कुछ भी हो परन्तु वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों: (i) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों (ii) वे आवास पुनर्वास की किसी अन्य योजना के अंतर्गत शामिल न किए गए हों और (iii) वे बेघर हों या उन्हें आवास उन्नयन की जरूरत हो । योजना के अन्तर्गत निधियों का न्यूनतम 60% अ.जा/अ.ज.जा. परिवारों की सहायता के लिए आरक्षित है । निधियों का 3% ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग लोगों के लाभ के लिए आरक्षित किया गया है । 1.4.2004 से आवास इकाइयों के लिए सहायता की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है । अब मैदानी इलाकों में प्रत्येक आवास के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपए और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रुपए निर्धारित की गई है । प्रति इकाई 12,500 रुपए की दर से मरम्मत के अयोग्य कच्चे मकानों का उन्नयन किया जाएगा । आई.ए.वाई के वार्षिक आबंटन की 20 प्रतिशत धनराशि का कच्चे मकानों के उन्नयन और ऋण-सह-सब्सिडी योजना के लिए खर्च किया जा सकता है । ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत, ऐसे ग्रामीण परिवारों जिनकी वार्षिक आय 32,000 रुपए से

अधिक नहीं है, को मकान के निर्माण हेतु धनराशि प्रदान की जाती है । इन ग्रामीण परिवारों को पहले आई.ए.वाई. के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था परन्तु इस पहल से वे अपना मकान बनाने के हकदार हो गये हैं । पात्र परिवारों को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी और 40 हजार रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है । ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण की उपलब्धता सुधारने के लिए 'हुडको' को इक्विटी सहायता भी दी जा रही है । इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्र में निरंतर आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जानकारियां प्राप्त की जा सकें और प्रौद्योगिकी, आवास तथा ऊर्जा से संबंधित मुद्दों में एकरूपता लाई जा सके जिसके द्वारा सामुदायिक अन्तर-मध्यस्थता के माध्यम से और विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए किफायती आवास मुहैया कराया जा सके ।

6. डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना का उद्देश्य डी.आर.डी.ए. को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक व्यावसायिक एवं प्रभावकारी बनाना है । इसे एक विशेषज्ञता वाली एजेंसी के रूप में बनाया गया है जो एक ओर मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रबंधन में सक्षम होगी और दूसरी ओर जिलों में गरीबी उन्मूलन के समग्र प्रयत्नों को इनके साथ प्रभावकारी रूप से संबद्ध कर सकेगी । प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना का वित्त पोषण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया गया है ।

7. इस आवंटन में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और ग्रामीण विकास के राज्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और सेमिनारों के आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी प्रशिक्षण योजनाओं आदि के लिए सहायता देना शामिल है ।

8. इसमें स्वैच्छिक कार्रवाई, आईईसी क्रियाकलापों और मानीटरिंग प्रणाली के संवर्धन के माध्यम से लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (कापार्ट) को सहायता पहुंचाने तथा 'ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान' (पुरा) नामक एक नई योजना के लिए प्रावधान शामिल है ।

9 और 10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 500 से अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी संपर्करहित बसावटों को दसवीं योजना अवधि के अंत तक अच्छी बारहमासी सड़कों के माध्यम से जोड़ना है । पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरांचल) और रेगिस्तानी क्षेत्रों (जैसा कि मरूभूमि विकास कार्यक्रम में निर्धारित किया गया है) तथा आदिवासी क्षेत्रों (अनुसूची V) के संबंध में यह उद्देश्य 250 और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ना है । राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रारंभ में लगभग 1.60 लाख संपर्करहित बसावटों को पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता थी । लगभग 60,000 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश की व्यवस्था थी । तथापि, ग्रामीण सड़कों के कोर नेटवर्क के कार्यक्रम सर्वेक्षण के शुरू होने के बाद, यह आशा है कि पात्र बसावटों की कुल संख्या 1.70 लाख के लगभग हो सकती है । सर्वेक्षण, जिसमें आवश्यक सड़कों की लंबाई के आंकड़े भी दिए गए हैं, के आधार पर यह अपेक्षा है कि केवल नए संपर्कों के लिए ही निधियों की कुल आवश्यकता 79,000 करोड़ रु. होने की संभावना है और उन्नयन के लिए अतिरिक्त 53,000 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी, जिसे मिलाकर कुल 1,32,000 करोड़ रु. बनते हैं ।

11. इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है ।